कार्यालय : – सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आमेर मु0 जयपुर

फर्द अहकाम

ा :   बनाम

दिनांक		विशेष विवरण
3/1/2021	पत्रावली पेश हुई। व0प0 आ0, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] तथा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के आदेश बाद [illegible] प्रमाण [illegible] प्रति [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] दिनांक 12/1/2021 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	SCC [illegible] CP
12/1/2021	पत्रावली पेश हुई। व0प0 आ0, प्रा0पत्र धारा 10 [illegible] 151 CPC पर [illegible] सुनी गई पत्रावली वास्ते प्रा0पत्र धारा 10 के आदेश हेतु दिनांक 21/1/2021 को पेश हो। पत्रावली आज दिनांक 21/1/2021 को पेश हुई। दि डिस्ट्रिक्ट एड. बार एसो. जयपुर द्वारा कन्डोलेन्स की जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5/3/2021 को पेश हो।	[illegible] [illegible] [illegible] 12/1/21 [illegible] [illegible]
5/3/2021	पत्रावली प्रस्तुत। प.क्र. उपज। पिछली तारीख पेशी 12/1/2021 को प्रा.पत्र व प्रकरण मे बहस हो चुकी है पत्रावली वास्ते आदेश पूर्वानुसार दिनांक 22/3/2021 को पेश हो।	[illegible] 5/3/2021
22/3/2021	पत्रावली [illegible] [illegible]। पत्रावली वास्ते आदेश [illegible] [illegible]	

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.08.03 13:04:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय :

केस संख्या :

अंतर्गत धारा 10 संपठित धारा 151 CPC
हेतु नियत की। पत्रावली का अवलोकन
किया गया, तर्कों का मनन किया
गया। तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि
प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से दिनांक 6.9.2..
को धारा 10 संपठित धारा 151 CPC के
तहत एक प्रार्थनापत्र न्यायालय दावा के
समक्ष प्रस्तुत कर यह प्रकट किया गया है कि
अप्रार्थी/वादी की ओर से जिन आराजीयात
के सम्बन्ध में यह वाद प्रस्तुत किया गया
है उन्हीं आराजीयात के सम्बन्ध में वादी
की ओर से एक वाद सक्षम दीवानी न्याया.
में प्रस्तुत किया गया जो सक्षम दीवानी
न्यायालय द्वारा निस्तारित कर दिया
गया एवं उक्त प्रकरण के निस्तारण के
पश्चात उसके सम्बन्ध में एक अपील
माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर, पीठ
जयपुर के समक्ष आज दिवस तक
लम्बित [illegible] वादी की
ओर [illegible] न्यायालय [illegible] है
एवं धारा [illegible] के प्रावधानों के तहत
हस्तगत वाद की अग्रिम कार्यवाही न्यायालय
में स्थगित किया जाना उचित है। प्रार्थना
की प्रति अप्रार्थीगण/वादी के विद्वान अधि.
को दिलवाई गई, जिनके द्वारा प्रार्थनापत्र के

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.08.03 13:04:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

ालय

रामपाल बनाम राज

मा संख्या /वर्ष : /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	विपक्षगण विस्तृत जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र अविधिक होना दर्शित कर यह प्रकट किया गया है कि दस्तगत अदेय प्रार्थनापत्र मात्र प्रकरण को विलंबित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है जो कि गुणावगुण पर गौर किये बिना अस्वीकार कर खारिज किया जावे। दौरान पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर गौर किया। न्यायालय दावा के समक्ष इकरारनामा के आधार पर उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है एवं उक्त इकरारनामा के आधार पर वादी द्वारा सक्षम दीवानी न्यायालय में भी पृथक से कार्यवाहियां प्रस्तुत की गई है, जिनके विपक्षगण आज दिवस को माननीय [illegible] न्यायालय, जयपुर [illegible] समक्ष कार्यवाहियां लम्बित [illegible]। वादी ने अपने जवाब प्रार्थनापत्र में यह	

सहायक कलक्टर
आमेर गु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.08.03 13:04:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		तथ्य को स्वीकार किया गया है कि प्रश्नगत आराजीयात के सम्बन्ध में उभयपक्ष के मध्य पूर्व से दीवानी न्यायालय में वाद लम्बित रहे हैं तथा आज दिवस को भी प्रश्नगत आराजीयात के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष कार्यवाही लम्बित है। इस प्रकार वादीपक्ष द्वारा इस न्यायालय एवं दीवानी न्यायालय के समक्ष समान आराजीयात के सम्बन्ध में समान अभिवचनों के आधार पर कार्यवाहियां प्रस्तुत की गई है। विधि का यह सुस्थापित नियम/सिद्धान्त है कि समान विवाद वस्तु के सम्बन्ध में दो समान स्तर न्यायालयों में समान अभिवचनों के आधार पर पृथक-2 कार्यवाहियां विधितः संधारणीय नहीं है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] सपठित धारा [illegible] दीवानी [illegible] स्वीकार [illegible] किया जाकर प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाहियां स्थगित की जाती है। माननीय राज0 उच्च न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.08.03 13:04:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

ालय

रामपाल बनाम नाथू

मा संख्या /वर्ष : /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	जयपुर पी०, जयपुर द्वारा दस्तावेज वाद की प्रन्तर्गत आवासीयात के सम्बन्ध में लम्बित प्रकरण में आदेश प्रसारित के पश्चात यह पत्रावली प्रस्तुत की जाए तब तक दरम्यान प्रकरण की पत्रावली-फैसल कुन्दा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। इस सम्बन्ध में लाल स्याही से पत्रावली पर नोट अंकित किया जावे कि पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं किया जाए। आदेश सुनाया गया। सहायक कलक्टर आमेर मु॰ जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.08.03 13:04:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner